तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/2024	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 23/03/2024 को पेश हो।	
3/04/2024	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 25/03/2024 को पेश हो।	
25/3/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से बार-2 जवाब मगवाने पर भी जवाब अप्राप्त। अतः तहसीलदार बावड़ी का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली में वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लेखा जाकर शामिल पत्रावली हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:30:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा पारीक, (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या 69/2020

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

प्रताप राम पुत्र श्री केसाराम जाति–मेघवाल निवासी–बुड़ियों की बासनी, तहसील–बावड़ी जिला–जोधपुर हाल निवासी–मगतालाब जिला–पाली।	राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बावड़ी, जिला–जोधपुर।

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री भीकाराम विश्नोई अधिवक्ता–वादी।

निर्णय

दिनांकः–

वाद वादी का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की ओर से दिनांक 07.02.2020 को एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी की ओर कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बुड़ियों की बासनी पटवार क्षेत्र खेड़ापा तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में कृषि भूमि में खाता संख्या 10 खसरा सं. 476/8 रकबा 15 बीघा बारानी चतुर्थ जो वक्त बंदोबस्त से करताराम पुत्र श्री दलाराम जाति मेघवाल का कब्जा कास्त होने से राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार खातेदार करताराम को खातेदारी भूमि अधिकार प्राप्त हुए जिसका नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद है। जिसके समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 व नक्शा किश्तवार की सत्य प्रतियां संलग्न पेश है। उक्त जायदाद जो करताराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने व उनका कब्जा काश्त होने से करताराम के मालिकाना हक हिस्से की भूमि रही जिसको करताराम द्वारा उक्त भूमि का बेचान हस्तानान्तरण एवं नियमानुसार उसका उपयोग उपभोग करने का कानूनी अधिकार था जिसका उपयोग करताराम ने वसीयतनामा के जरिये प्रतापराम पुत्र केसाराम जाति मेघवाल निवासी बुड़ियों की बासनी जरिये लेख पत्र अपने जीवनकाल में वसीयत लिख दी। करताराम जीवन से कुंआरा था जिसके कोई आलऔलाद नहीं थी तथा करताराम अपने जीवनकाल में प्रताप राम पुत्र श्री केसाराम जो करताराम का पारिवारिक सदस्य था जिसके साथ करताराम रहा तथा करताराम की सेवा चाकरी प्रतापराम [illegible] होकर करताराम ने अपने जीवनकाल में अपने मालिकाना हक की कृषि भूमि ख[illegible] सं. [illegible]6/8 रकबा 15 बीघा की भूमि को वसीयतनामा दिनांक 28.07.199[illegible] को [illegible] के अरूबरू नौटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर निष्पादित [illegible] आज भी कानूनी प्रभाव है। अब करताराम की मृत्यु हो जाने पर वादी एकमात्र, करता[illegible] की कृषि भूमि पर मालिकाना हक अनुसार जरिये वसीयत प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि पर वादी का कब्जाकाश्त एवं उपयोग उपभोग होने से वादी को उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

किये गये जिसमें प्रतिवादी को नोटिस तामील होने के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिस कारण प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से PW1 स्वयं वादी तथा PW2 व PW3 वसीयत के गवाहान् न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए जिनकी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिसमें साक्ष्य के तौर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा उनसे प्रति परीक्षण पूर्ण किया गया।

उक्त भूमि जरिये वसीयत दिनांक 28.07.1995 के हस्तान्तरित हुई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत के गवाहन् ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त वसीयत के निष्पादन बाबत कथन किया है जिसका प्रतिवादी की ओर से खण्डन में किसी तरह की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिस कारण उक्त वसीयत पर संदेह करना गैर वाजिब है।

अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस में बताये गये तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए, सम्पूर्ण साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद न्याय हित में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त अराजी भूमि में खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री जारी करना उचित समझते है। अतः आदेश जारी हो।

आदेश

राजस्व ग्राम मौजा बुड़ियों की बासनी पटवार हल्का खेड़ापा भू अभिलेख निरीक्षक खेड़ापा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर के वादग्रस्त अराजी भूमि खसरा सं. 476/8 रकबा 2.4270 हैक्टेअर (15 बीघा) किस्म बारानी चतुर्थ में मूल खातेदार करताराम पुत्र दलाराम हिस्सा पूर्ण जाति–मेघवाल सा. देह खातेदार के स्थान पर वादी प्रतापराम पुत्र केसाराम जाति–मेघवाल निवासी–बुडियों की बासनी को खातेदार घोषित किया जाता है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार बावड़ी को आदेशित किया जाता है कि बुड़ियों की बासनी पटवार हल्का खेड़ापा भू अभिलेख निरीक्षक खेड़ापा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर के खसरा सं. 476/8 रकबा 2.4270 हैक्टेअर (15 बीघा) किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मूल खातेदार करताराम का नाम विलोपित कर वादी प्रतापराम पुत्र केसाराम का नाम अमलदरामद किया जावे। डिक्री जारी हो। इस आशय की तहसीलदार बावड़ी को तहरीर जारी हो।

फैसला खुले न्यायालय में दिनांक 25.03.2021 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्रीमती सुमित्रा पारीक)
सहायक कलक्टर बावड़ी
जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:50:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमित्रा पारीक)
सहायक कलक्टर बावड़ी
जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी